हरियाणा सरकार
मुख्य सचिव कार्यालय
मन्त्रीमण्डल शाखा

विषयः– **मंत्रिपरिषद के विचार के लिये ज्ञापन समय पर प्रस्तुत करने बारे हिदायतें ।**

.......00.....

क्या सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, कृपया उपरोक्त विषय की ओर ध्यान देने का कष्ट करेगें ?

2. प्रायः यह देखने में आता है कि प्रशासकीय सचिवों द्वारा अपने विभाग से सम्बन्धित ज्ञापन समय रहते मंत्रिमण्डल शाखा को नही भिजवाए जाते है, परंतु अंतिम दिन उन्हें एंजेडा में शामिल करवाने का अनुरोध किया जाता है । समय के अभाव के कारण मंत्रिपरिषद् के सदस्यों को ऐसे ज्ञापनों को पढ़ने का समय नहीं मिल पाता है ।

3. इस बारे कार्यालय द्वारा मंत्रिपरिषद के सम्मुख ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए समय–समय पर हिदायतें जारी की गई हैं, जिनके अनुसार मंत्रिपरिषद् की बैठक से 72 घण्टे (3 दिन पहले) ज्ञापन मंत्रिमण्डल शाखा में प्राप्त हो जाना चाहिए तथा 2 दिन पहले मंत्रिपरिषद् के सदस्यों/सचिव, राज्यपाल को भिजवाए जायें।

4. अतः आपसे अनुरोध है कि भविष्य में मंत्रिपरिषद् की बैठक से 72 घण्टे (3 दिन पहले) ज्ञापन मंत्रिमण्डल शाखा में भिजवाना सुनिश्चित करें । 72 घण्टे (3 दिन पहले) के बाद ज्ञापन को मंत्रिपरिषद् की बैठक हेतू स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

विपिन कुमार
अधीक्षक, मंत्रिमण्डल ।

सेवा में,

सभी प्रशासकीय सचिव,
हरियाणा सरकार ।

अशा0 कमांक 10/11/2011–2 कैबिनेट दिनांक 27.02.2025.